साप्ताहिक
Live not just breaTHE

दि कार्मिक पोस्ट

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/22-23

Global School Of Excellence, Obedullaganj

वर्ष : 9, अंक : 21 (प्रति बुधवार),इन्दौर, 10 जनवरी 2023 से 16 जनवरी 2024 पेज :8 कीमत : 3 रुपये

क्षिप्रा नदी को लेकर इंदौर–उज्जैन के बीच स्टॉपडेम बनेंगे

नदी को स्वच्छ पानी मिले इसके लिए चार सूत्रीय योजना पर काम शुरु

इंदौर। मध्यप्रदेश सरकार ने अब क्षिप्रा नदी को लेकर व्यापक योजना तैयार करते हुए इसमे इंदौर और देवास के औद्योगिक क्षेत्र को भी जोड़ा है इससे शिप्रा नदी में मिलने वाले गंदे पानी को रोका जा सकेगा इसके लिए इंदौर-उज्जैन प्रशासन मिलकर चार सूत्रीय योजना तैयार कर रहा है। इसी के चलते पिछले दिनों सांवेर रोड़ के उन उद्योगो पर कार्रवाई की जिनका पानी क्षिप्रा नदी में मिल रहा था।

क्षिप्रा नदी के लिए अब सरकार एक्शन मोड में है। क्षिप्रा नदी को लेकर इंदौर और उज्जैन के प्रशासनिक अधिकारियों ने निरिक्षण करने के बाद चार सूत्रीय योजना तैयार की है। जल्द ही इसके आधार पर प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजे जाएंगे। 15 जनवरी को मकर संक्रांति पर होने वाले स्नान के लिए भी प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। इस दिन क्षिप्रा के तट पर स्वच्छ पानी स्न ान करने वाले भक्तों को मिलेगा। इसके लिए जिस प्रस्तावित योजना पर काम शुरु हो रहा है वह इस प्रकार है। इंदौर से उज्जैन तक जल संसाधन विभाग स्टॉपडेम बनाएगा। इनमें सीमेंट कांक्रीट वर्क भी होगा। एसटीपी स्थापित करने की संभावना तलाशी जाएगी। खान डायवर्शन योजना काम नहीं कर रही तो उसमें सुधार किया जाए। उज्जैन में अमृत योजना के तहत एसटीपी प्लांट स्थापित किया जाएगा। दूसरी ओर इंदौर जिले की दो नदियों में फैक्ट्री से सीधे कचरा बहाने के मामले में सख्त कदम उठाते हुए ९ काखानों को सील कर दिया है। इसके अलावा कई और कारखाने अब प्रशासन के रडार प र आ गये हैं। इनमे से कुछ को चेतावनी भी जारी की गई है। अधिकारियों का कहना है कि उज्जैन में 2028 में लगने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले से पहले प्रदूषणमुक्त करने की मुहिम चलाई है। जिसके तहत पालदा, सांवेर रोड, बरदरी और लक्ष्मीबाई नगर स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में यह कार्रवाई की गई। इंदौर जिले के ग्रामीण क्षेत्र से निकलने वाली क्षिप्रा नदी उज्जैन पहुंचती है। जहां हर 12 साल में लगने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले में लाखों श्रद्धालु इस नदी में स्नान करते हैं। क्षिप्रा को हिंदुओं की धार्मिक मान्यताओं में मोक्षदायिनी कहा जाता है।

कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने इंदौर विकास प्राधिकरण के कार्यों का किया निरीक्षण

कार्य पूर्ण गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूरे करने के दिये निर्देश

इन्दौर कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने आज यहां इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित तथा निर्माणाधीन विकास कार्यों का मौका मुआयना कर निरीक्षण किया औरपगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्भय सिंह पटेल बस टर्मिनल, आईएसबीटी तथा भवरकुंआ के ब्रिज का देखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि उक्त सभी प्रोजेक्ट यातायात सुधार की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यातायात सुधार में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इसको देखते हुए। उक्त प्रोजेक्ट जल्द से जल्द पूरे कर प्रारंभ किये जाये।

कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने अपने भ्रमण की शुरूआत सबसे पहले निर्भय सिंह पटेल बस टर्मिनल नायता मुण्डला से की। यहां उन्होंने आरई-2 मार्ग के एप्रोज के कुछ भाग में आ रही दिक्कतों को देखा और उन्होंने उक्त बाधाओं का समाधान शीघ्र करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि दिक्कतों का समाधान कर उक्त बस टर्मिनल शीघ्र प्रारंभ किया जाये। इसके बाद वे आईएसबीटी की प्रगति देखने पहुंचे। यहां बताया गया कि इसका कार्य लगभग 70 प्रतिशत पूर्ण हो गया है। कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने निर्देश दिये कि सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए शेष कार्य भी शीघ्र पूरा करें। इसके बाद वे भवरकुंआ पहुंचे। भवरकुंआ में उन्होंने निर्माणाधीन ब्रिज का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ब्रिज निर्माण की प्रगति को देखा। ब्रिज निर्माण की बाधाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने दिक्कतों का शीघ्र समाधान कर ब्रिज का निर्माण तेज गति से करने निर्देश दिये। निरीक्षण के दौरान इंदौर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आर.पी. अहिरवार, अधीक्षण यंत्री द्वय श्री अनिल जोशी तथा श्री सी.पी. मुंदड़ा, कार्यपालन यंत्री श्री के.डी. भल्ला, एडिशनल डीसीपी ट्राफिक श्री अरविंद तिवारी तथा एसीपी ट्राफिक श्री संजय पंवार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

सौर जियोइंजीनियरिंग पर वैश्विक नियमन की आवश्यकता

लखनऊ। जलवायु परिवर्तन पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता ने वैज्ञानिकों को सौर जियोइंजीनियरिंग जैसे नवीन दृष्टिकोण तलाशने के लिए प्रेरित किया है। पेरिस जलवायु समझौते (वर्ष 2015) के अंतर्गत ग्रीन हाउस गैस को कम किए जाने के लिए निर्धारित किए गए उत्सर्जन संबधी लक्ष्यों को प्राप्त करने में वर्तमान वैश्विक जगत असफल सिद्ध हो रहा है ।

भू-तापन से, अन्य जलवायुवीय दशाओं के अतिरिक्त बढ़ते मूसलाधार बारिश के पैटर्न, अधिक शक्तिशाली तूफानों की बारंबारता और समुद्र के स्तर में वृद्धि जैसी दशाओं को जोड़ा जा सकता है। पश्चिम के विद्वानों का एक बड़ा वर्ग इस संदर्भ में पहले ही इंगित कर चुका है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2030 के दशक तक वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने के लिए बड़े पैमाने पर परियोजनाओं की आवश्यकता होगी। कहना न होगा यह अप्रत्यक्ष रूप से सौर जियोइंजीनियरिंग और उससे संबंधित तकनीक की ही तरफ इशारा है।

सौर जियोइंजीनियरिंग में पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाले सौर विकिरण की मात्रा को कम करने के लिए वैज्ञानिक विषयों जैसे स्ट्रैटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन, अंतरिक्ष-आधारित रिफ्लेक्टर आदि का इस्तेमाल किया जाता है । दूसरे शब्दों में कहें तो सौर जियोइंजीनियरिंग पृथ्वी पर आने वाली सूरज की रोशनी को कम करने, यानी सूर्य को मंद करने के लिए काल्पनिक प्रौद्योगिकियों के एक सेट का वर्णन करती है (राष्ट्रीय विज्ञान, इंजीनियरिंग और चिकित्सा अकादमी, 2021) हालाँकि जियोइंजीनियरिंग की ये प्रौद्योगिकियाँ जलवायु संशोधन के संदर्भ में संभावित लाभ प्रस्तुत कर सकती हैं, लेकिन वे अपने सामाजिक-आर्थिक और पारिस्थितिक प्रभावों के संबंध में चिंताएँ भी बढ़ाती हैं। मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप द्वारा किए जा रहे जियोइंजीनियरिंग संबंधी अनुसंधान, विशेष रूप से सौर जियोइंजीनियरिंग पर हावी है। वहीं चीन के प्रयोगों ने भी आशंका की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है । भारत की विषम भौगोलिक परिस्थितियां भी इस क्षेत्र में विस्तृत शोध की संभावनाओं के द्वार खोलती है जिसके लिए बजटीय माध्यमों के साथ साथ वैज्ञानिकों को नियत लक्ष्यों के साथ प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है । वर्ष 2019 में, सौर जियोइंजीनियरिंग सहित जियोइंजीनियरिंग विकल्पों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने के लिए प्रस्तावित यूएनईपी प्रस्ताव को संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और सऊदी अरब द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। ऐसे में यह आशंका कि विनियमन और संयुक्त शोध के बिना, एक देश के प्रयास दूसरे देशों को प्रभावित कर सकते हैं, को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। सौर जियोइंजीनियरिंग प्रौद्योगिकियों की तैनाती पर उचित, न्यायसंगत और प्रभावी बहुपक्षीय नियंत्रण की गारंटी दे सकने में सक्षम संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में भी संस्थागत बल का अभाव वर्तमान में दिखता है ।अनियंत्रित जियोइंजीनियरिंग पर नियमों की कमी के विनाशकारी प्रभाव भी हो सकते हैं, खासकर विकासशील देशों के लिए जिनके पास गहन अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) करने, ऐसी योजनाओं को व्यापक रूप से लागू करने या उनके अनपेक्षित परिणामों को संभालने के लिए संसाधनों की कमी है। उदाहरण के लिए, कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों ने सुझाव दिया है कि ऊपरी वायुमंडल में सूरज की रोशनी कम करने वाले रसायनों का छिड़काव करने से वैश्विक मौसम पैटर्न प्रभावित हो सकता है और पूरे एशिया और अफ्रीका में मानसून के पैटर्न में बदलाव हो सकता है । एक अन्य प्रसंग में वर्ष 2021 में बिल गेट्स ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के नेतृत्व में एक शोध का समर्थन किया, जिसमें उत्तरी स्कैंडिनेविया के वातावरण में कैल्शियम कार्बोनेट के छिड़काव की धारणा का परीक्षण किया गया था। हालाँकि, स्थानीय स्वदेशी समुदायों और पर्यावरणविदों के विरोध के कारण परियोजना को रोक दिया गया था। जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे संवेदनशील देशों में से एक भारत की निर्भरता यहां की मानसूनी जलवायु में प्रमुखता से है। लू, सूखा और मानसूनी व्यवधान जैसे गंभीर प्रभावों का सामना करते भारत को सौर जियोइंजीनियरिंग के संभावित लाभों और जोखिमों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

अमेरिका,चीन और यूरोप तथा विश्व के अन्य देशों द्वारा किए जा रहे सौर जियोइंजीनियरिंग संबधी नवोन्मेषों को समझना और उसमें बराबर भागीदारी करना भारत में नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं के लिए के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

भारत अपनी अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि पर बहुत अधिक निर्भर है। जहां सौर जियोइंजीनियरिंग कृषि उत्पादकता पर जलवायु परिवर्तन के कुछ नकारात्मक प्रभावों को कम करने में मदद कर सकती है,जिससे संभावित रूप से किसानों और देश में खाद्य उत्पादन को लाभ होगा वहीं दूसरी तरफ आज भारत जलसंकट के मुद्दों का सामना कर रहा है, और सौर जियोइंजीनियरिंग का जल संसाधनों की उपलब्धता और वितरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। भविष्य की जल संसाधन प्रबंधन रणनीतियों के लिए सतही जल अपवाह, भूजल पुनर्भरण और मानसून पैटर्न पर संभावित प्रभाव को समझना महत्वपूर्ण है। वर्तमान में चीन द्वारा मेगा-बांध परियोजनाओं (जैसे थ्री गोरजेस) सहित अन्य बड़े इंजीनियरिंग परियोजनाओं के संभावित दुष्परिणामों से यह तो स्पष्ट है कि किसी प्रकार के वैश्विक मत के बिना भी चीन जियोइंजीनियरिंग परियोजनाओं पर कार्य जारी रख सकता है और इस कार्य का सम्पूर्ण एशिया विशेषकर भारत में प्रभाव पड़ेगा इसमें कोई दो राय नहीं है। चीन की बड़े पैमाने की मौसम संशोधन परियोजना, तियान्हे, या स्काई रिवर जोकि एक क्लाउड सीडिंग जियोइंजीनियरिंग परियोजना है इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है जिसमें भारत और अन्य दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों सहित पड़ोसी देशों के लिए संभावित सुरक्षा निहितार्थ भी व्याप्त हैं। तियान्हे के जलवायु जियोइंजीनियरिंग उद्यम का लक्ष्य चीन के उत्तरी हिस्सों में जहां कम वर्षा होती है और इसकी नदियों में जलस्तर में गिरावट देखी जा रही है वहां सूखे जैसी स्थितियों का प्रबंधन करना है।

वायुमंडल में सिल्वर आयोडाइड कणों को लॉन्च करके ईंधन कक्षों की सहायता से यांग्त्ज़ी नदी बेसिन के अतिरिक्त जल को येलो नदी तक हस्तांतरण की योजना के जलवायुवीय पहलुओं पर भी गौर करना भारत के लिए अत्यंत आवश्यक है।

आज बड़े बड़े उद्योगपतियों और संस्थानों आदि द्वारा भी जहां सुपरकंप्यूटर क्षमताओं का इस्तेमाल कर वातावरण में भारी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड (एसओ2) को इंजेक्ट करने की योजना बन रही है वही सौर जियोइंजीनियरिंग के संभावित प्रभावों का अध्ययन करने के लिए माली, ब्राजील, थाईलैंड और अन्य देशों के वैज्ञानिकों के लिए भी वित्तीय मदद भी दी जा रही है।

अमेरिका के नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, इंजीनियरिंग और मेडिसिन में तो , जिन्होंने , पांच वर्षों में .100 मिलियन से .200 मिलियन के शुरुआती निवेश के साथ एक अमेरिकी सौर जियोइंजीनियरिंग अनुसंधान कार्यक्रम स्थापित करने की सिफारिश भी की गई हैं । जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दीर्घकालिक टिकाऊ समाधानों में एक व्यापक दृष्टिकोण शामिल होना चाहिए जो भारत और वैश्विक समुदाय के लिए अधिक लचीला और पर्यावरणीय रूप से सतत समावेशी भविष्य बनाने के लिए शमन, अनुकूलन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर जोर देता है। वस्तुत- सौर जियोइंजीनियरिंग को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि एक पूरक उपाय के रूप में देखा जाना चाहिए। भारत को इस संबंध में सबसे कमजोर देशों की जरूरतों और प्राथमिकताओं को भी संबोधित करते हुए उनकी न्यायसंगत भागीदारी सुनिश्चित करते हुए , जलवायु न्याय के सिद्धांतों पर विचार करना चाहिए और वैश्विक समुदाय को संगठित करने के उद्यम करने चाहिए।

उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों की वहन क्षमता पर दो माह में तैयार होगी रिपोर्ट

उत्तराखंड के पहाड़ों पर बने तीर्थस्थलों की वहन क्षमता (कैरिंग केपेसिटी) पर एक रिपोर्ट दो माह के भीतर तैयार की जाएगी। यह आश्वासन उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) दिया है। उत्तराखंड के तीर्थस्थलों की वहन क्षमता निर्धारित करने की मांग को लेकर एक याचिका एनजीटी में डाली गई है। इस पर पांच जनवरी 2024 को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बोर्ड की ओर से पेश हुए वकील ने स्वीकार किया कि अब तक वहन क्षमता का कोई अध्ययन नहीं किया गया है, लेकिन यह अब किया जाएगा और ट्रिब्यूनल के समक्ष एक रिपोर्ट दायर की जाएगी। मामले को 6 मार्च 2024 के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

एनजीटी के 8 फरवरी, 2023 के आदेश को अमल में लाने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया गया था। एनजीटी से केदारनाथ, हेमकुंड साहिब, यमुनोत्री और गोमुख तीर्थ केंद्रों के तीर्थ मार्गों पर पर्यावरण मानदंडों के बड़े पैमाने पर उल्लंघन की शिकायत की गई थी ट्रिब्यूनल के निर्देश पर संयुक्त समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिस पर अदालत ने विधिवत विचार किया था। संयुक्त समिति की सिफारिशों में से एक वहन क्षमता की गणना से संबंधित थी। गौरतलब है कि देवों की भूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन का बड़ा महत्व है। हर साल लाखों यात्री धार्मिक स्थलों में जाते हैं। पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि हिमालय पर बसे इन धार्मिक स्थलों में बहुत ज्यादा यात्रियों के आने के कारण पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। साथ ही, प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ी हैं, इसलिए यहां आने वाले यात्रियों की संख्या निर्धारित होनी चाहिए। इसके लिए वहनीय क्षमता का आकलन होना बहुत जरूरी है।

यात्रा का लाभ लोगों तक पहुंचाने में मध्यप्रदेश देश में प्रथम रहे

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश के गरीबों का कल्याण हो रहा है और भारत का सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक गौरव भी निरंतर बढ़ रहा है। आजादी के अमृतकाल में देश के हर नागरिक तक सभी सुविधाओं का लाभ पहुंचाने और सभी पात्र नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देशभर में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है।

सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना से प्रेरित इस संकल्प यात्रा के दौरान ग्राम पंचायतें और शहरी क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में अपने देश को 2047 तक दुनिया में नंबर वन बनाना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंत्रालय से वीसी के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के मंडला और बैतूल जिले के हितग्राहियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने विभिन्न शासकीय योजनाओं से हितग्राहियों के जीवन में आए सकारात्मक बदलावों के बारे में जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैतूल के श्री मानिकराव धोटे तथा श्रीमती गीता भावसार और मंडला के जागेश्वर कछवाहा और श्रीमती श्वेता नंदा से वर्चुअली चर्चा की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि डिजिटल मोबाइल वैन के माध्यम से लाभार्थियों से जुड़ी सफलता की कहानियाँ, वीडियो संदेश और लघु फिल्में दिखाकर विभिन्न योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। जन-जन तक विकास की बयार ले जाने वाली यह यात्रा अब जन-जन की यात्रा बन चुकी है। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर इस यात्रा का समापन होगा। इस वर्ष का गणतंत्र दिवस कई मयानों में महत्वपूर्ण हैं, हम अपना 75वाँ गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सफल, सम्पन्न और सुखी भारत का जो सपना देखा है, मध्यप्रदेश की धरती उसे साकार करेगी। हमारा प्रयास है कि यात्रा के अंतर्गत जन-जन तक लाभ पहुंचाने में मध्यप्रदेश देश में प्रथम रहे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने हितग्राहियों से प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री स्वनिधि, किसान सम्मान निधि, उज्जवला सहित अन्य योजनाओं के संबंध में चर्चा की तथा हितग्राहियों की कुशलक्षेम पूछी। मंत्रालय में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपर मुख्य सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास श्री अशोक वर्णवाल उपस्थित थे। बैतूल सांसद श्री डी.डी. उइके तथा अन्य जनप्रतिनिधि भी वीसी में जुड़े।

शिमला की विकास योजना को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने कहा दुर्भाग्यपूर्ण

शिमला एनजीटी के नवंबर 2017 फैसले में शिमला प्लानिंग एरिया में भवनों की दो मंजिल और एटिक फ्लोर से अधिक ऊंचाई पर निर्माण को रोक लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी, 2024 को शिमला के विवादित डेवलपमेंट प्लान, 2041 को हरी झंडी दिखा दी है। शिमला की इस विकास योजना पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने प्रश्नचिन्ह लगाते हुए रोक लगा दी थी और इस योजना को गैरकानूनी करार दिया था।

शिमला के निवासियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से शिमला में भवनों की दो मंजिल और एटिक फ्लोर से अधिक ऊंचाई के निर्माण पर लगी एनजीटी की रोक और 17 ग्रीन बेल्ट व कोर एरिया में निर्माण पाबंदियों पर लगी रोक भी हट जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी, 2024 को अपने फैसले में कहा कि 23 जून, 2023 को राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित की गई शिमला विकास योजना, 2041 संतुलित दिखाई देती है। ट्रिब्यूनल किसी राज्य सरकार को किसी निश्चित फ्रेम में योजना बनाने के लिए नहीं कह सकती है। हिमाचल प्रदेश की टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एनजीटी के 2017 के फैसले के विरुद्ध याचिका दायर की थी, जिसमें एनजीटी के नवंबर 2017 फैसले द्वारा शिमला प्लानिंग एरिया में भवनों की दो मंजिल और एटिक फ्लोर से अधिक ऊंचाई पर निर्माण को रोक लगाया गया था। 28 जुलाई, 2023 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस जेबी पारडीवाला ने इसी मामले में अपनी टिप्पणी में कहा था विकास और पर्यावरण के बीच एक संतुलन होना चाहिए। वहीं, 12 दिसंबर को इस मामले पर पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में प्रतिवादी व पर्यावरण कार्यकर्ता योगेंद्र मोहनसेन गुप्ता ने डाउन टू अर्थ से बातचीत में बताया कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें न्यायिक जीत की उम्मीद थी। शिमला पहले ही विनाश झेल रहा है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला और भी परेशानी पैदा करेगा। इससे पहले हिमाचल प्रदेश की टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा तैयार इस ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान, 2041 के मसौदे को पर्यावरण कार्यकर्ता योगेंद्र मोहन सेनगुप्ता ने 20 अप्रैल, 2022 को एनजीटी में चुनौती दी थी। उन्होंने अपनी दलील में कहा था कि था कि ऐसी योजना सतत विकास सिद्धांत के विपरीत है और पर्यावरण और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए विनाशकारी है। याचिका पर गौर करने और लंबी सुनवाई के बाद इस विकास योजना के मसौदे पर 14 अक्तूबर, 2022 को एनजीटी में तत्कालीन न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल की पीठ द्वारा पारित आदेश में कहा गया कि ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द करने या अनदेखा करने का राज्य के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की विकास योजना का मसौदा अवैध है। पीठ ने कहा था इस योजना में एनजीटी के आदेशों का उल्लंघन करते हुए अधिक मंजिलों के निर्माण, कोर एरिया में नए निर्माण, ग्रीन एरिया में निर्माण, सिंकिंग और स्लाइडिंग जैसे क्षेत्रों में विकास की अनुमति दी गई है। ग्रीन ट्रिब्यूनल बेंच ने मामले में टिप्पणी करते हुए कहा था कि, यदि राज्य इस तरह से आगे बढ़ता है, तो इससे न केवल कानून व्यवस्था को नुकसान होगा, साथ ही इसके पर्यावरण और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े विनाशकारी परिणाम भी सामने आ सकते हैं। शिमला के विकास से जुड़े इस ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान, शिमला प्लानिंग एरिया 2041 को फरवरी 2022 में प्रकाशित किया गया था। इसमें कहा गया है कि शिमला को विकास योजना की तत्काल आवश्यकता है, जिससे एक अच्छी तरह से विनियमित और नियोजित शिमला और इसके उपनगरीय क्षेत्रों के लिए विकास सम्बन्धी नियमों को पुनर्जीवित किया जा सके। साथ ही इसका मकसद शहर एवं उसके किनारे बसे क्षेत्रों को बेहतर रूप देना है। इस विकास योजना को हिमाचल प्रदेश के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा भारत सरकार की अमृत उप-योजना के तहत तैयार किया गया है। देखा जाए तो शिमला प्लानिंग एरिया के विकास की यह योजना जीआईएस आधारित है। जिसमें हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट, 1977 के प्रावधानों के तहत शिमला नगर निगम और उसके आसपास के क्षेत्रों को शामिल किया गया है, इनमें कुफरी, शोघी और घनाहट्टी विशेष क्षेत्र और कुछ अतिरिक्त गांव शामिल हैं। विकास की इस ड्राफ्ट योजना में कहा गया है कि नगर नियोजन एनजीटी के दायरे में नहीं आता है।साथ ही ड्राफ्ट का यह भी कहना है कि, एनजीटी द्वारा शिमला प्लानिंग एरिया में भवनों की ऊंचाई पर रोक को लेकर जारी आदेश भविष्य में शहरीकरण की चुनौतियां से निपटने में सेंध लगाते हैं।

अगले तीन दशक में भारत का हर पांचवां शख्स होगा बुजुर्ग

जीवन प्रत्याशा में सुधार और प्रजनन दर में गिरावट के कारण दुनियाभर में आबादी की रूपरेखा बदल रही है। 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र वाली आबादी को वृद्ध माना जाता है और दुनियाभर में ऐसी आबादी 2022 के 110 करोड़ (1.1 बिलियन) के मुकाबले 2050 में बढ़कर लगभग दोगुनी यानी 210 करोड़ हो जाएगी। इस अवधि में यह वृद्धि विकसित देशों में 26 प्रतिशत से बढ़कर 34 प्रतिशत होगी, जबकि कम विकसित देशों में यह वृद्धि 11.5 प्रतिशत से बढ़कर 20 प्रतिशत होगी। दूसरे शब्दों में कहें तो कम विकसित क्षेत्रों में बुजुर्ग आबादी 2022 में 77.2 करोड़ से बढ़कर 2050 में 170 करोड़ पहुंच जाएगी। भारत में 1 जुलाई 2022 तक 14.9 करोड़ (कुल आबादी का 10.5 प्रतिशत) आबादी बुजुर्ग थी। यहां 2050 में बुजुर्ग आबादी बढ़कर 34.7 करोड़ (कुल आबादी का 20.8 प्रतिशत) हो जाएगी। यानी 2050 में हर पांच में एक शख्स बुजुर्ग होगा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन सांइसेस एंड यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड द्वारा प्रकाशित इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 में ये जानकारियां दी गई हैं। रिपोर्ट के अनुसार, बुजुर्गों की आबादी में अप्रत्याशित वृद्धि स्वास्थ्य तंत्र, अर्थव्यवस्था और समाज को प्रभावित करेगी। भारत में यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के प्रतिनिधि एंड्रिया एम वोजनार कहते हैं कि बहुत से राज्यों में बूढ़ी आबादी तेजी से बढ़ रही है। वह लिखते हैं कि विधवापन और महिलाओं में उच्च जीवन प्रत्याशा भारत की प्रमुख जनसांख्यीय विशेषता है। पुरुषों के मुकाबले महिलाएं कम आय अर्जित करती हैं। फेमिनाइजेशन का गरीबी से सीधा ताल्लुक है, इसलिए नीति निर्माताओं को तत्काल ध्यान देने की जरूरत है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008